

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

मानने वाले अधिकारी कुलपती की छापी है।
कुलपती की छापी की ताकत नहीं।
कुलपती की छापी का इसी तरीफ में उन्हें
माना जाता है तो एक समझौता ऐसा नियम
आवश्यक नहीं कहा जाता कि कुलपती की छापी है।



मान : नृसिंहदेव
दृष्टिकोण : (0751) 2241896
(0751) 2442029
फैक्ट्र : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलपती,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक/सम्बन्ध/2012/5055

दिनांक : 22/12/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बन्धित डिवाइन डंडरलेशन द्वारा द्वय और दूसरी द्वय की ताकत नहीं। (लेव.कम्बूदर एवं लीकेसन जैसे), बी.बी.ए. तुलीव द्वय एवं बी.सी.ए. तुलीव नर्स, पाठ्यानुक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की असाधीय लम्बाईता हेतु अद्युतीनाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपती महोदय/त्याचारी लिखित, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय आधिकार्य वर्ष 1973 के परिवियम 27(10) के अनुरूप लिखित समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. जे.एन. गौतम, कुलपतीपिता, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संचयक)
- (2) (0751-2442603)
- (2) डॉ. के.एस. लक्ष्मी, आवार्ड, वार्षिक एवं प्रबंधन अध्ययनशाला, को.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) पो. एस.के. मुख्या, उपाचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

विश्वविद्यालय के सदस्यों ले अनुरोध हैं कि वे परिवियम 27(2) के प्रावधानों के अनुरूप मानविद्यालय का पर्याप्त लिखित द्वय भुल्क, बैंडर तथा, गोपनीय लिखित अधीकारिक स्टॉक, प्राथमिक तथा से प्राप्त अनुगति/अन्तर्गति प्रमाण-पत्र, भवन, बीटा फिरिट एवं प्रदर्शन/अर्किवेस तथा शिक्षण गति जैसी दृष्टि द्वारा दी जानी जानी असाधीय लम्बाईता ने विश्वविद्यालय द्वारा दी जानी जानी असाधीय लम्बाईता की पूर्ण गति घटान एवं वर्त के तहा प्रावार्द्ध/ऐश्वर्यिक एवं अशैश्वर्यिक दृष्टि की विद्युतितयों का प्रमाण एवं विवरण आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंदाहरण अंकित करें।

स्थानीय समिति की बैठक दिनांक 26 अक्टूबर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये विष्वविद्यालय का निरीक्षण द्वारा 30 दिव में मानविद्यालय का निरीक्षण द्वारा 15 दिव में विश्वविद्यालय कार्यालय ने लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। प्रियदर्शक की गतीय कार्यवाही (निरीक्षण की) 45 दिव में पूर्ण तो लक्षणीय एवं नहाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जानी जानी असाधीय लम्बाईता ने विश्वविद्यालय द्वारा दी जानी जानी असाधीय लम्बाईता की पूर्ण तो लक्षणीय तथा शासन के लिए दी जानी जानी असाधीय दृष्टि की विद्युतितयों का पालन लुभित्वित किया जा रहेगा।

गवर्नर के 15 दिव में Report पात्र न ठोके यही विविति में नहीं जाना जाएगा कि मानविद्यालय का निरीक्षण जटी कुप्रा है। विश्वविद्यालय अवधारण जगा करकर बवीक समिति नियमिती की जावेगी। दिनांक 15 दिव में निरीक्षण दिवों प्रस्तुत करना अविवार्य तोगा। परिवियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बन्धित प्राप्त विवादों को घरें देका अवैश्विक है।

निरीक्षण दिविति के साथ सम्बन्धित शासन में कार्यालय अधीकार / कार्यालय साकारक प्रबाली लेवर जावेंगे तथा मानविद्यालय की वर्तुलिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को ए.ए. / डी.ए. / गार्डेन जाहाविद्यालय द्वारा दें छोड़ा।

कुलपती

प्रतिलिपि :-

1. सम्बन्धित सदस्यों को ओर सूखनार्थ एवं जावशक्ता वर्गनागारी हेतु।
2. प्रावार्द्ध/अध्ययन, सर्वेतित नहाविद्यालय की ओर भेजकर आगाह है कि नियमिति को संचोकन से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक नियार्थित कर मानविद्यालय का निरीक्षण करावें; उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करावें की व्यवस्था करें।
3. अनुगता उच्च शिक्षा, सतपुदा गवर्नर, गोपाल
4. कुलपती के लाभित / कुलपती के लिये साहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संचायक कुलपती (सम्बन्धित)